भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

श्रेणी - २
SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUTHORITY

Daman **15th May, 2026 25 Vaisakha, 1948 (Saka)** **No. : 17**

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
शिक्षा निदेशालय, दमण-396 220.

सं. DE/DNHDD/Revised SVY/2025-26/1034. **दिनांक 23/04/2026.**

अधिसूचना

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 2024 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, इस संबंध में पहले जारी किए गए सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में **'सरस्वती विद्या योजना'** के संशोधित स्वरूप को लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:

I. **योजना का नाम :-** सरस्वती विद्या योजना

II. **विभाग :-** शिक्षा निदेशालय, दमण, संघ प्रदेश दा.न.ह. तथा दमण एवं दीव.

III. **परिचय :-** संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन ने इस संघ प्रदेश की छात्राओं के लिए 'सरस्वती विद्या योजना' की परिकल्पना की है। इस योजना का उद्देश्य "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

IV. **उद्देश्य :-** इस योजना का उद्देश्य कक्षा 8वीं की छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए साइकिल प्रदान करना है, ताकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की उपस्थिति बनी रहे और उनके विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आए। इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य प्रोफेशनल कोर्सेस में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना

है, जिससे समाज में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके और बालिका शिक्षा को सशक्त बनाया जा सके।

V. लक्षित लाभार्थी/दायरा :-

- संघ प्रदेश दा.न.ह. तथा दमण एवं दीव के सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8वीं की छात्राएं (नि:शुल्क साइकिल वितरण के लिए)।
- प्रोफेशनल कोर्स कर रही डोमिसाइल छात्राएं (डिप्लोमा/स्नातक और स्नात्कोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति)।

VI. शिकायत निवारण के लिए संपर्क :

दादरा एवं नगर हवेली	दमण	दीव
जिला शिक्षा कार्यालय, प्रथम तल, लेखा भवन, आमली, सिलवासा पिन - 396230. दूरभाष - 0260-2642098	शिक्षा कार्यालय (दमण) शिक्षा सदन, मोटी दमण पिन - 396220 दूरभाष - 0260-2231126	शिक्षा विभाग, समाहर्तालय, दीव. पिन - 362520 दूरभाष - 02875-252199

VII. निगरानी समिति :

यह समिति योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

i.	शिक्षा निदेशक	:	अध्यक्ष
ii.	संबंधित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	:	सदस्य
iii.	संबंधित नगरपालिकाओं के मुख्य अधिकारी	:	सदस्य
iv.	सहायक शिक्षा निदेशक (प्रशा.)	:	सदस्य
v.	सहायक शिक्षा निदेशक (अका.)	:	सदस्य
vi.	संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशा.)	:	सदस्य

VIII. बजट शीर्ष :

नि:शुल्क साइकिल वितरण हेतु		शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु	
2202	सामान्य शिक्षा	2202	सामान्य शिक्षा
02	माध्यमिक शिक्षा	02	माध्यमिक शिक्षा
109	सरकारी माध्यमिक विद्यालय	109	सरकारी माध्यमिक विद्यालय
10	शैक्षिक प्रोत्साहन योजना	10	शैक्षिक प्रोत्साहन योजना
10.00.21	सामग्री एवं आपूर्ति	10.00.49	अन्य राजस्व खर्च

IX. दंड प्रावधान :- यदि कोई आवेदक या लाभार्थी दस्तावेजों की जालसाजी, मिथ्या घोषणा, एक ही समय में बहु-लाभ प्राप्त करने आदि का दोषी पाया जाता है, तो उसे वसूली के माध्यम से दंडित किया जाएगा अथवा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरस्वती विद्या योजना के घटक और उनका विवरण इस प्रकार है:

घटक - I : सरस्वती विद्या योजना - साइकिलों का नि:शुल्क वितरण

I. मुख्य विशेषताएं :-

इस संघ प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8वीं की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी।

II. प्रक्रिया :-

1. संबंधित विद्यालय प्रमुख अपने सरकारी विद्यालय में कक्षा 8वीं की छात्राओं के नामांकन का विवरण संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को प्रदान करेंगे।
2. विद्यालय प्रमुख द्वारा प्रदान किए गए नामांकन विवरण के आधार पर, नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी।
3. संबंधित विद्यालयों में साइकिलों के वितरण की जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुख की होगी।

III. विशेष/सामान्य शर्तें/योजना के दिशानिर्देश :-

1. जिस छात्रा ने एक बार इस योजना का लाभ ले लिया है, उसे बाद के किसी भी वर्ष में दूबारा यह लाभ नहीं दिया जाएगा।
2. मिडिल विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुखों को योजना के तहत दी गई साइकिलों के उपयोग के बारे में आवश्यक जांच करने का अधिकार होगा।
3. यदि साइकिल बेची हुई पाई जाती है, तो शिक्षा निदेशालय और जिला शिक्षा कार्यालयों को छात्राओं के माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
4. यदि कोई छात्रा उच्चतर माध्यमिक व़िद्यालय की शिक्षा पूरी करने से पहले विद्यालय छोड़ देती है, तो उससे साइकिल जब्त कर ली जाएगी।

घटक - II : सरस्वती विद्या योजना - डिप्लोमा/स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति

I. सहायता/लाभ की प्रकृति :-

1. जिन छात्राओं के माता-पिता/पति की आय 2.50 लाख रुपये से कम है, उन्हें 100% ट्यूशन फीस और शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
2. जिन छात्राओं के माता-पिता/पति की आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 50% ट्यूशन फीस और शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. डिप्लोमा/स्नातक प्रोफेशनल कोर्स करने वाली या कर चुकी छात्राओं के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 2.50 लाख रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) और स्नात्कोत्तर प्रोफेशनल कोर्स करने वाली या कर चुकी छात्राओं के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 3.50 लाख रुपये (तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) तक प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

4. 1.5 वर्ष (डेढ़ साल) के शैक्षणिक सत्र के मामले में, स्नातक प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष अधिकतम 3.75 लाख रुपये (तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) और स्नात्कोत्तर प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष अधिकतम 5.25 लाख रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) तक प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

5. छात्रावास शुल्क (मेस शुल्क को छोड़कर) का 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। यह राशि ऊपर निर्धारित सीमा (2.50 लाख रुपये /3.50 लाख रुपये आदि) के अतिरिक्त होगी।

II. पात्रता मानदंड :-

1. छात्रा के पिता/पति/अभिभावक/माता (विधवा/तलाकशुदा) को संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव का अधिवासी (डोमिसाइल धारक) होना चाहिए।

2. यदि छात्रा के पिता जीवित नहीं हैं और छात्रा पूरी तरह से अभिभावक पर निर्भर है और उनके साथ रह रही है, तो अभिभावक को संबंधित जिले के मामलतदार द्वारा जारी 'निर्भरता प्रमाण पत्र' (Dependent Certificate) देना होगा।

3. उन छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जो संबंधित शैक्षणिक वर्ष की किसी भी वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा के पहले प्रयास में अनुत्तीर्ण हुई हों या जिनका बैकलाग (backlog) आया हो, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है।

4. छात्रा को संघ प्रदेश के किसी भी विद्यालय से कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की होनी चाहिए। यदि छात्रा ने एसएससी/10वीं के बाद डिप्लोमा किया है, तो उसे संघ प्रदेश के किसी भी विद्यालय से कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की होनी चाहिए।

5. परिवार की केवल पहली दो लड़कियाँ ही इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।

किसे लाभ नहीं मिलेगा (अपवर्जन /Exclusion):

1. यह योजना पत्राचार या दूरस्थ माध्यम से डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर प्रोफेशनल कोर्स करने वाली छात्राओं को कवर नहीं करेगी।

2. पेइंग गेस्ट या फ्लैट सिस्टम में रहने वाली छात्राओं के आवास शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। केवल संबंधित महाविद्यालय के छात्रावास और निजी तौर पर पंजीकृत स्टूडेंट/यूथ हॉस्टलों में रहने पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. यह योजना उन छात्राओं को कवर नहीं करेगी जो एक समय में एक से अधिक कोर्स कर रही हैं।

III. विशेष/सामान्य शर्तें/योजना के दिशानिर्देश :-

1. ट्यूशन और शैक्षणिक शुल्क की प्रतिपूर्ति उन छात्राओं को की जाएगी जो UGC, AICTE, MCI, DCI, PCI, NCERT, NCTE, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर प्रोफेशनल कोर्स कर रही हैं।

2. केवल उन संस्थानों के शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी जिनका शुल्क संबंधित राज्य/संघ प्रदेश सरकार की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित है।

3. ट्यूशन और शैक्षणिक शुल्क की गणना करते समय, कैपिटेशन शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क और विकास शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. यदि छात्रावास शुल्क में मेस शुल्क भी शामिल है और शुल्क रसीद में उसे अलग से नहीं दिखाया गया है, तो उक्त शुल्क रसीद की कुल राशि के 50% हिस्से को ही छात्रावास शुल्क माना जाएगा।

5. यदि लाभार्थी संघ प्रदेश/भारत सरकार की किसी अन्य योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित) के तहत संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति/वित्तीय लाभ प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसी राशि को इस योजना के लाभ की राशि से घटा दिया जाएगा और उसी के अनुसार इस योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया जाएगा।

6. **विशेष खंड (Special Clause)** - सचिव (शिक्षा), संघ प्रदेश दानह तथा दमण एवं दीव, एक वर्ष में अधिकतम 10 (दस) ऐसे मामलों (जो पात्रता मानदंडों में नहीं आते हों) की सिफारिश प्रशासक के सलाहकार, सचिव (उच्च शिक्षा) और सचिव (शिक्षा) से गठित समिति को इस योजना के तहत लाभ देने के लिए कर सकते हैं।

लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया :-

1. स्थानीय समाचार पत्रों और वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

2. प्रत्येक जिला में निम्नलिखित सदस्यों वाली जांच समिति होगी, जो पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रत्येक आवेदन और सहायक दस्तावेजों की जांच करेगी:

i.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रशा.)	:	अध्यक्ष
ii.	शिक्षा अधिकारी (अका.)	:	सदस्य
iii.	सहायक	:	सदस्य
iv.	लेखाकार	:	सदस्य
v.	इस योजना का कार्यभार संभालने वाले प्रवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य
vi.	इस योजना का कार्यभार संभालने वाले अवर श्रेणी लिपिक	:	सदस्य

3. जांच प्रक्रिया में (यदि आवश्यक हो) महाविद्यालयों/छात्रावासों का मौके पर दौरा/फिजिकल सत्यापन भी शामिल होगा।

4. जांच समिति इस बात की पुष्टि करेगी कि महाविद्यालय के पास आवश्यक सरकारी मान्यता/संबद्धता है या नहीं।

5. इन आवेदनों की जांच के बाद, बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

6. माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन के बाद छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी।

IV. भुगतान प्रक्रिया :-

इस योजना का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे भेजा जाएगा।

V. आवेदन पत्र और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1. मूल शुल्क रसीदें ।

2. आवेदक के पिता/पति/अभिभावक/माता (विधवा/तलाकशुदा) के अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की प्रति।

3. यदि 100% शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया गया है, तो संबंधित जिले के मामलतदार द्वारा जारी पिता/पति/अभिभावक/माता (विधवा/तलाकशुदा) के आय प्रमाण पत्र की प्रति।

4. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के शुल्क निर्धारण के संबंध में संबंधित राज्य/संघ प्रदेश द्वारा जारी प्रासंगिक आदेश की प्रति।

5. जिस शैक्षणिक वर्ष के लिए दावा किया जा रहा है, उसकी वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर परिणाम की प्रति।

6. चालू वर्ष की परीक्षा अंकतालिका (Marksheet) की प्रति।

7. विद्यालयी शिक्षा प्रमाण पत्र (Schooling Certificate) जिसमें यह उल्लेख हो कि छात्रा ने संघ प्रदेश के किसी भी विद्यालय से कक्षा 8वीं से 12वीं तक पढ़ाई की है। यदि छात्रा ने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है, तो प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होना चाहिए कि उसने संघ प्रदेश के विद्यालयों से कक्षा 6वीं से 10वीं तक पढ़ाई की है।

8. आधार कार्ड और बैंक पासबुक (आधार से लिंक) की प्रति।

9. एक घोषणा पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि छात्रा ने केवल 'सरस्वती विद्या योजना' के तहत लाभ लिया है और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी अन्य योजना में ऐसा कोई दावा नहीं

किया गया है। यदि छात्रा ने किसी अन्य योजना से कोई राशि प्राप्त की है, तो उस राशि का विवरण घोषणा पत्र में देना होगा।

10. माता-पिता/अभिभावक की ओर से घोषणा पत्र कि इस योजना के तहत 02 (दो) से अधिक बेटियों के लिए लाभ नहीं लिया गया है।

IV. समय-सीमा :-

1. आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए दो विंडो दिए जाएंगे, जो तत्काल पूर्ववर्ती (एक) शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होंगे।

विंडो - I

- आवेदन शुरू : 15 जून
- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जुलाई
- आवेदन पर निर्णय की अंतिम तिथि : 15 अगस्त

विंडो - II

- आवेदन शुरू : 15 दिसंबर
- आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जनवरी
- आवेदन पर निर्णय की अंतिम तिथि : 15 फरवरी

2. जो विद्यार्थी विंडो-I में आवेदन करने में असफल रहते हैं, वे विंडो-II में आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रत्येक विंडो बंद होने के बाद पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

यह इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करता है।

इसे माननीय प्रशासक, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन से, डायरी सं. 1517918 दिनांक 09/04/2026 के अनुसार जारी किया जाता है।

प्रशासक, दानह तथा दमण एवं दीव के
आदेश एवं नाम से

ह/-

(डॉ. विवेक कुमार)
विशेष सचिव (शिक्षा)
संघ प्रदेश दानह तथा दमण एवं दीव

संघ प्रदेश दा.न.ह. एवं द.दी. प्रशासन, U.T. Administration of DNH & DD,
शिक्षा निदेशालय, Directorate of Education,
दमण, 396220 Daman, 396220.

No. DE/DNHDD/Revised SVY/2025-26/1034 **Date : 23/04/2026**

NOTIFICATION

In exercise of powers under Delegation of Financial Powers Rules, 2024, the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to approve implementation of revision of Saraswati Vidya Yojana in UT of DNH & DD in supersession to all earlier notifications issued in this regard as under:

I. Name of Scheme:- Saraswati Vidya Yojana

II. Department:- Directorate of Education, Daman, UT of DNH & DD

III. Introduction:-

The UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu has envisaged a 'Saraswati Vidya Yojana' for the girl students of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu. The scheme aims to encourage girl students to continue education keeping in view the aim of "Beti Bachao Beti Padhao".

IV. Objective:-

The objective of the scheme is to retain the girl students at Secondary & Higher Secondary stage and thereby decreasing the Dropout of the girl students by providing Bicycle to the girl students of class VIII to commute to school. The scheme also aims to provide financial assistance to girl students pursuing higher education in professional courses thereby reducing gender disparity in the society and to empower girls education.

V. Target Beneficiaries/ Scope:-

- Girl students of class VIII of Government School of the UT of DNH and DD (for Free Distribution of Bicycles).
- Domicile Girl Students pursuing Professional Courses (Reimbursement of fees for Diploma/Graduation and Post-Graduation Professional Courses).

VI. Contact for Grievance Redressal:-

Dadra and Nagar Haveli	Daman	Diu
District Education Office , First Floor, Lekha Bhavan, Amli, Silvassa, Pin – 396230, Ph.–0260-2642098	Education Office (Daman) Shiksha Sadan, Moti Daman, Pin - 396220 Ph.– 0260 2231126	Education Department, Collectorate, Diu, Pin – 362520, Ph.–02875-252199

VII. Monitoring Committee:-

The committee shall be responsible for proper implementation of schemes.

i.	The Director of Education	:	Chairperson
ii.	Chief Executive Officers of respective District Panchayats	:	Member
iii.	Chief Officers of respective Municipalities	:	Member
iv.	Assistant Director of Education (Admin)	:	Member
v.	Assistant Director of Education (Acad.)	:	Member
vi.	District Education officers (Admin.) of respective district	:	Member

VIII. Budget Head:-

For Free Distribution of Cycle		For Reimbursement of fees	
2202	General Education	2202	General Education
02	Secondary Education	02	Secondary Education
109	Govt. Secondary school	109	Govt. Secondary School
10	Educational Promotional Scheme	10	Educational Promotional Scheme
10.00.21	Material and supplies	10.00.49	Other Revenue Expenditure

IX. Penalty Clause: -

If any applicant or beneficiary is found to be guilty for forgery of documents, false declaration, availing multiple benefit at a time, etc., shall be penalized by way of recovery or shall face legal actions as deemed fit.

The components of the Saraswati Vidya Yojana with its details are as follows: -

<u>Component – I of Saraswati Vidya Yojana- Free Distribution of Bicycles</u>

I. Salient features:-

The girl students of class VIII of Government Schools of this UT will be provided bicycle for free.

II. Procedure: -

1. The concerned Head of the school shall provide the enrolment of Girls student in Std. VIII in respective Government Schools to the respective District Education Office.

2. Bicycles will be provided to the girl student at the time of commencement of the New Academic Year as per the enrollment provided by the Head of the schools.

3. The Head of the school shall be responsible for distribution of Bicycles in the respective schools.

III. Special/ General Conditions/ Scheme Guidelines:-

1. The girl students once availed the benefit will not be provided with the same in any of the subsequent year.

2. The Head of the school of Middle Schools/High Schools/Higher Secondary Schools shall hold the right to make necessary enquiry about the usage of the bicycles provided under the scheme.

3. The Directorate of Education and the District Offices shall hold the right to take legal action against the girls parents, if the bicycle is found to be sold.

4. The bicycle shall be seized from girl student who drops the school before completion of Higher secondary education.

Component – II – of Saraswati Vidya Yojana - Reimbursement of Fees for Diploma/Graduation and Post-Graduation Professional Courses

I. Nature of Assistance/Benefit: -

1. 100% of Tuition Fee & Academic Fees will be reimbursed to girl students whose parental/Husband income is **below ₹2.50 Lakhs.**

2. 50% of Tuition Fee & Academic Fees will be reimbursed to girl students whose parental/Husband income is **above ₹2.50 Lakhs.**

3. Re-imbursement will be allowed subject to maximum ceiling of Rs.2.50 Lakhs (Rupees Two Lakh Fifty Thousand only) per year for girl students pursuing/pursued Diploma/Graduate Professional Courses and that of Rs.3.50 Lakhs (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) per year for girl students pursuing/pursued Post Graduation Professional courses.

4. In case of academic session of 1.5 year, the re-imbursement will be allowed subject to maximum ceiling of Rs.3.75 Lakhs (Rupees Three Lakh Seventy-Five Thousand) per academic year for Graduate Professional courses and that of Rs. 5.25

Lakhs (Rupees Five Lakh Twenty-Five Thousand only) per academic year for Post-Graduation Professional courses.

5. An additional allowance of 50% of Hostel charges (excluding Mess Charges) with a capping of maximum Rs.30,000/-(Rupees Thirty Thousand) per year will be provided. The same is over and above the ceiling limit set above i.e. Rs.2.50 Lakhs/Rs.3.50 Lakhs, etc.

II. Eligibility Criteria:-

1. Father /Husband/ Guardian/ Mother (widow/ divorced) of the girl student should be a domicile resident of UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

2. In case the father of the girl student is not alive, and the girl student is fully dependent and living with the Guardian, the Guardian should provide a dependent certificate issued by the Mamlatdar of respective district.

3. The benefit shall not be provided to those girl students who have failed or having backlog in first attempt of any annual/ semester examination of the claiming academic year for which the application has been made for reimbursement.

4. Students should have studied Std. 8^{th} to Std. 12^{th} in any of the schools of the UT. In case the student has pursued Diploma after SSC/10^{th}, the student should have studied Std. 6^{th} to Std. 10^{th} in any of the schools of the UT.

5. Only First two Girl Children of the family will be eligible for the benefits under this scheme.

<u>Exclusion: -</u>

1. The Scheme will not cover the student pursuing Diploma/ Graduation/ Post Graduation professional courses through correspondence or distance mode.

2. The accommodation fees of the students staying as paying Guest or in a flat system shall not be reimbursed. Hostel accommodation availed in respective college hostel and private registered students/ youth hostels will only be reimbursed.

3. This scheme shall not cover the students pursuing more than one courses at a time.

III. Special/ General Conditions/ Scheme Guidelines:-

1. The reimbursement of Tuition and Academic Fees shall be given to girl students

who are pursuing Diploma/Graduation/Post Graduation Professional courses in institutions/universities recognized by UGC, AICTE, MCI, DCI, PCI, NCERT, NCTE, Nursing Council of India, etc.

2. The fees will be reimbursed of the institutions whose fees are approved by the respective States/UT Government Fee Fixation Committee.
3. While calculating Tuition and Academic Fees, the fees such as Capitation Fee, Infrastructure Fee and Development Fee will not be considered.
4. In case the Hostel Charges are inclusive of Mess Charges and the same is not mentioned separately in Fee Receipt, the Hostel Charges will be considered for 50% of the total amount of the aforesaid fee receipt.
5. In case the beneficiary is entitled to avail scholarship/ monetary benefit for the respective Academic Year under any other schemes of the U.T./ Govt. of India (Including Post matric scholarship), such amount shall be deducted from the benefit amount of this scheme and accordingly the scholarship amount shall be disbursed under the scheme.
6. Special Clause – Secretary (Education), UT of DNH&DD can recommend up to a maximum of 10 (ten) cases in a year (which may not fall in eligibility criteria) to a committee comprising of Advisor to Administrator, Secretary (Higher Education), and Secretary (Education) for getting benefits under this scheme.

Procedure for identification of beneficiaries: -

1. Applications will be called from eligible applications by way of advertisement in local newspaper and website.

2. The Scrutiny Committee in each district consisting of the following will scrutinize each application and support documents as per the eligibility criteria:-

i.	District Education Officer (Admin.)	:	Chairperson
ii.	Education Officer (Acad.)	:	Member
iii.	Assistant	:	Member
iv.	Accountant	:	Member
v.	Upper Division Clerk dealing with this scheme	:	Member
vi.	Lower Division Clerk dealing with this scheme	:	Member

3. The Scrutiny process will also consist of spot visit/physical verification of Colleges/Hostel (if required).

4. The Scrutiny Committee shall confirm whether the college has necessary Government recognition/affiliation.

5. Upon Scrutiny of these applications, minutes of the meeting will be prepared and placed for approval.

6. The Scholarship will be disbursed on approval of the Hon'ble Administrator, UT of DNH&DD.

IV. Payment Procedure: - The benefit will be reimbursed to the bank account of the beneficiary through the Direct Benefit Transfer (DBT).

V. Application Form and List of Documents to be attached: -

1. Original Fee Receipts.
2. Copy of Domicile Certificate of applicant's father/husband/guardian/Mother (widow/ divorced).
3. Copy of Income Certificate of the father/husband/guardian/Mother (widow/divorced) issued by the Mamlatdar of the respective district if applied for 100% of reimbursement of fees.
4. Copy of the relevant order issued by concerned state/UT with respect to Fee Fixation of the respective college/institute.
5. Copy of Annual Exam/Semester result of the claiming Academic Year.
6. Copy of current year examination Marksheet.
7. Copy of Schooling Certificate stating the students have studied Std. 8^{th} to Std. 12^{th} in any of the schools of the UT. In case the student has pursued Diploma after SSC/10^{th}, the Schooling Certificate shall be stating that the student should have studied Std. 6^{th} to Std. 10^{th} in any of the schools of the UT.
8. Copy of Aadhar card and Bank pass book (Aadhar seeded)
9. Declaration declaring that the student has availed benefit only under the Saraswati Vidya Yojana Scheme and that no such claim has been made in any of the other scheme for respective Academic Year for which the claim has been made. In case the student has availed certain amount in any other scheme, the benefited amount for the aforesaid respective Academic Year shall be disclosed in declaration.
10. Declaration from parents/guardian declaring that, benefit has not been taken under the above scheme for more than 02 (two) girl children.

IV. Timelines:-

1. Applications shall be invited **Online only** in 2 windows for immediate previous (one) Academic Year.

   Window- I – Opens : 15th June
   Closes : 15th July
   Decision Deadline of Applications : 15th August

   Window -II – Opens : 15th December
   Closes : 15th January
   Decision Deadline of Applications :15th February

2. Students failing to apply in the window-I can apply in window- II.
3. Entire procedure should be completed within one month after closing of the respective window.

This is in supersession to all earlier notifications issued in this regard.

This is issued with the approval of the Hon'ble Administrator, UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, vide diary No. 1517918 dated 09/04 /2026.

By order and in the name of the
Administrator of DNH & DD

Sd/–
(Dr. Vivek Kumar)
Special Secretary (Education)
UT of DNH & DD

***